

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर 2014—भाद्र 31, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 74-4-1999-बीस-2.—यतः, राज्य सरकार को केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल की प्रबंध समिति का गठन करने तथा अवधि विनिश्चित करने की शक्ति है तथा उपविधि 3(बी) और 14 के अधीन प्रबंध समिति से संबंधित नियमों को उपांतरित करने की भी शक्ति है;

अतएव, उपरोक्त उपबंध के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4-99-बीस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक “11-श्री ब्रम्हानंद रत्नाकर, विधायक” के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11-श्री विष्णु खत्री, विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया (मध्यप्रदेश).”.

No. F- 74-4-1999-XX-2.—WHEREAS, the State Government has power to formation and deciding the terms of the Managing committee of Cambridge, School, Bhopal and has also power to modify the rules relating to the Managing Committee under bye-laws 3(B) AND 14;

NOW, THEREFORE, in pursurance of the aforesaid provision the state Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F. 74-4-99-XX-2, dated 12th September 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, for serial number “11-Shri Bramhanand Ratnakar, M.L.A”, the following Serial number shall be substituted, namely :—

“11-Shri Vishnu Khatri, M.L.A., Constituency No. 149-Berasia (M.P.)”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एल. सोलंकी, उपसचिव.